भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या - 2069

सोमवार, 14 मार्च, 2022/23 फाल्गुन, 1943 (शक)

क्षेत्र विकास कार्यक्रम

2069. श्री रमेश चन्द्र माझी:
क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(**क**) क्या सरकार राज्य सरकारों की वास्तविक चिंताओं का संज्ञान लेते हुए क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के प्रावधानों को बहाल कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(**ख**) क्या केबीके जिला विशेष योजना, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि तथा प्रभावित जिलों हेतु एकीकृत कार्ययोजना जैसे क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत केंद्रीय सहायता समाप्त कर देने से उड़ीसा के कुछ अति संवेदनशील जिलों तथा पिछड़े क्षेत्रों में चल रहा विकास कार्य प्रभावित हुआ है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(**ग**) क्या सरकार ने इन कार्यक्रमों को जारी रखने के लिए राज्य सरकार को कोई विशेष पैकेज दिया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ग): 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों का अनुपालन करते हुए 'पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि' स्कीम को वर्ष 2015-16 से केन्द्र द्वारा दी जाने वाली सहायता से अलग कर दिया गया है। इसके अलावा, ओडिशा के केबीके जिलों के लिए विशेष योजना हेतु केन्द्र सरकार की 12वीं पंचवर्षीय योजना की प्रतिबद्ध देनदारियों का निर्वहन ओडिशा राज्य को वर्ष 2015-16 में 132.07 करोड़ रुपए ओर वर्ष 2016-17 में 367.93 करोड़ रुपए की विशेष सहायता जारी करके किया गया है। पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देने के साथ ही कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए सरकार ने पूंजीगत व्यय हेतु राज्यों को विशेष सहायता की स्कीम शुरू की है। इस स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत कार्यों के लिए ओडिशा को वर्ष 2020-21 में 471.50 करोड़ रुपए जारी किए गए थे और वर्ष 2021-22 में उक्त राज्य को 561.00 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

*****